सं. 8/11/2012-सीएस-II(ग)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003,
दिनांक जनवरी, 2013
13 FEB 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : मंत्रियों के वैयक्तिक स्टॉफ में गैर-सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में ।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 04.07.2011 के का.ज्ञा.सं. 8/32/2010 सीएस-II(ग) तथा दिनांक 15.12.2011 के का.ज्ञा.सं. 8/37/2011-सीएसII(ग) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है ।

2. यह देखने में आया है कि मंत्रियों के वैयक्तिक स्टॉफ में कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय उक्त नियुक्तियों संबंधित प्रक्रिया तथा नियमों का ईमानदारी से पालन नहीं किया जाता है । नियुक्ति से पूर्व, शैक्षिक योग्यता/चरित्र तथा पूर्ववृत्त सत्यापन जैसे मूलभूत प्रलेखों की प्रमाणिकता का सत्यापन किया जाना अपेक्षित होता है । सत्यापन-प्रक्रिया में किसी गंभीर चूक से मंत्रियों, सांसदो तथा अन्य सरकारी निकायों में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति हो सकती है, जो अन्यथा उस पद के लिए पात्र नहीं होते । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह खतरे से भरा हुआ है क्योंकि ऐसे व्यक्ति संवेदनशील सूचना और आंकड़ों को भी प्राप्त कर सकते हैं । अत: यह अति आवश्यक है कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों को माननीय मंत्रियों के कार्यालय में कार्मिकों की नियुक्ति की प्रक्रिया के समय विभिन्न निर्देशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन अवश्य करना चाहिए ।

3. तदनुसार, यह एक बार पुन: दोहराया जाता है कि सभी मंत्रालय/विभाग अत्यंत सावधानी बरतें तथा शैक्षिक योग्यता/चरित्र तथा पूर्ववृत्त के संबंध में निर्देशों/दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि केवल पात्र कर्मचारी ही सरकारी पदों पर नियुक्त किए जाएं ।

(राजीव मांझी)
निदेशक (सीएस-II)
दूरभाष : 24622365

प्रति :

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन)
(संलग्न सूची के अनुसार)
42 मंत्रालयों को ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन
Deptt. of Personnel & Trg., L. N. Bhawan
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issued Section
13 FEB 2013
जारी किया/ISSUED